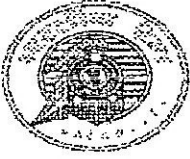


2 pages



122

1/160/2018

पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर।

ई0पी0सं0-8-26

क्रमांक-160/2018

आरबीई सं0-136/2018

सं0 ई/287/8/भाग-8/चार

दिनांक/1 -10-2018

सचिव/महाप्रबन्धक
सचिव/अपर महाप्रबन्धक
सभी विभागाध्यक्ष
सभी मण्डल रेल प्रबन्धक
सभी कार्मिक अधिकारी
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना
पूर्वोत्तर रेलवे।

विषय:-प्रशिक्षु अधिनियम,1961 के अन्तर्गत प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षुओं के चयन से सम्बन्धित प्रणाली में सुधार।

रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या ई(एमपीपी)2009/8/14 भाग दिनांक 10.09.2018 की अंग्रेजी प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक/यथोपरि

(आर0 को सौंपेय)

सकाधि/मुख्या0-11

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महामंत्री/एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर - 40 प्रतियों में।
- 2- महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूछरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 3- महामंत्री/रेसुब एशोसियेशन/पूछरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 4- पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर - 01 प्रति में।
- 5- महामंत्री/एससी/एसटी एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोर0-02 प्रतियों में।
- 6- मुकायाधी/एमपीपी को बेबसाइट पर अपलोड हेतु - 01 प्रति में।

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

13/9/18

2
160/2018



PCPO

19 SEP 18
RB
10/9/18

Government of India (Bharat Sarkar)
Ministry of Railways (Rail Mantralaya)
(Railway Board)

(RBE No. 136/2018)

No. E(MPP)2009/6/14 Pt.

New Delhi, Dated 10.9.2018

The General Managers,
All Indian Railways including
Production Units.

20.09.18

04.09.18
APPD 10.9.18

Subj: System improvement regarding selection of Apprentices
for training under the Apprentices Act, 1961.

Ministry of Railways (Railway Board) has reviewed the Para 4B (xiv) and 4B (xvii) of Board's letter No. E(MPP)/2009/6/14Pt. dated 06.10.2015 (RBE No.120/2015) and decided to (i) extend the time limit for issuing merit list with the approval of Competent Authority from 15 days to 45 days of closing date of receipt of applications and 2) permit engagement of Apprentices from merit list without any time limit up to the notified vacancy within the financial year.

2. In view of the above, the Para 4B (xiv) and 4B (xvii) of the instructions issued vide Board's letter No. E(MPP)/2009/6/14Pt. dated 06.10.2015 (RBE No.120/2015) stand amended.

3. This disposes of letter No. E(R&T)120/10/Vol.XXII dated 10.06.2018 of PCFO/WR.

25.09.18

(Mahendra Kumar Gupta)
Director/MPP
Railway Board.

13/9/18

10/9/18

20/9/18

20/9/18